न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटडी जिला भीलवाडा

(बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा आर. ए. एस.)

प्रकरण संख्या............185............/2015 प्रार्थनापत्र एल.आर.

अनवान

श्री मांगीनाथ पिता भैरूनाथ बाबा जाति बाबा उम्र वयस्क निवासी सातोला तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
..........प्राथी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी जिला भीलवाडा ....विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः– श्री..गोविन्द पुरोहित वकील प्रार्थी

–::आदेश::–

दिनांक 30/4/2015

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम सातोला प.ह सातोला का खेडा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा में प्रार्थी की खातेदारी की भुमि आराजी नम्बर 229/4 , 223/8 कुल किता 2 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा दर्ज रिकोर्ड हैं जिसके कोई पुख्ता सीमा चिन्ह नहीं होने की वजह से पडौसियन से अकसर विवाद होता रहता है। प्रार्थी ने पडौसान से अपनी आराजियात बाबत् पत्थरगढी कराने के लिए कहा किन्तु उनके द्वारा इन्कार कर दिए जाने से यह प्रार्थनापत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं। अतः प्रार्थी की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी का आदेश प्रदान किया जावे।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी राज.राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी को जरीये समन तलब किया गया। विपक्षी ने उपस्थित होकर स्वयं को औपचारिक पक्षकार बताया एवं प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति एवं एतराज होना जाहिर नहीं किया। प्रार्थी पक्ष को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन एवं मनन किया गया। प्रार्थी उक्त आदेश की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात का खातेदार काश्तकार है। तथा अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य हैं।

–::आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षी स्वीकार किया जाकर ग्राम सातोला प.ह सातोला का खेडा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा में प्रार्थी की खातेदारी की भुमि आराजी नम्बर 229/4 , 223/8 कुल किता 2 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा भूमि की पत्थरगढी बसामलात समस्त पडौसान के किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू– अभिलेख निरीक्षक सवाईपुर को 900/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी । भू – अभिलेख निरिक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पडौसी खातेदारान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगें। मोके पर खडी फसल के दौरान पत्थरगढी नहीं की जावे । मुस्तकीन बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी किए जावे। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार कोटडी को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 30/4/2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटडी (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. तहसीलदार कोटडी 2. भू अभिलेख निरिक्षक सवाईपुर

मांगीनाथ v/s. राज. सरकार प्र.सं. 185/2015
प्रा. प. 111,128 R.L.R.A.

वादी/प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्र.पत्र दिनांक 10/2/2016 पर पारित आदेश दिनांक 10/2/2016 अनुसार

संशोधन आदेश

"पुनरांकन पर निर्णय/आदेश दिनांक 30/4/2015 में जहां कहीं भी खसरा नम्बर 223/8 अंकित है - के बजाय ख.नं. 229/8 पढ़ा जाकर तदनुसार पालना करें।

12/2/16

(श्रीमती चंचल वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी
जिला भीलवाड़ा (राज.)